कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

संख्याः–ई0सी0–1/2018/8129

दिनांक 12 नवम्बर, 2018

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज–3 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्थापित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु सृजित चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः–एम0ई0–2/2018/1828 लखनऊःदिनांक 03 नवम्बर, 2018 के आदेशानुसार मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज–3 में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन"**वाक–इन–इन्टरव्यू**"(Walk-in-interviw) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ में माह के प्रत्येक मंगलवार(यदि मंगलवार को राजकीय अवकाश होता हैं तो अगले कार्यदिवस में) को **प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य** उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही हैं। अभ्यार्थियों को यह भी सूचित किया जाता हैं कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की(स्वःप्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेगे।

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज–3 हेतु विभिन्न विभागों के रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत हैंः–

क.सं.	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य	प्रवक्ता	योग
1	पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग	01	01	01	03
2	कार्डियोलॉजी विभाग	01	01	01	03
3	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग	01	01	01	03
4	नेफ्रोलॉजी विभाग	00	01	01	02
5	न्यूरोलॉजी विभाग	01	01	01	03
6	न्यूरो सर्जरी विभाग	00	01	00	01
7	प्लास्टिक एण्ड रिकस्ट्रक्सन सर्जरी विभाग	01	01	01	03
8	रेडियोथेरेपी विभाग	00	01	01	02
	कुल योग	**05**	**08**	**07**	**20**

उक्त पदो पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैंः–

1. शासनादेश संख्याः–119/2018/2842/71–2–2018–33/2018 लखनऊःदिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य(कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू0 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक(Remuneration) प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के अनुसार होगी।
2. शासनादेश संख्याः–4661/71–1–08–जी–63/2008 लखनऊःदिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0 90,000/–, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 80,000/–, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 60,000/– एवं प्रवक्ता का नियत वेतन रू0 50,000/–प्रतिमाह हैं। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते उक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार होगी।
3. उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions regulations. 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं।
4. उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं दिनांक 20 सितम्बर, 2018 मेडिकल कालेज की वेवसाईट llrmmedicalcollege.nic.in एवं महानिदेशालय की वेवसाईट www.updgme.in पर उपलब्ध हैं।
5. पदों की संख्या घट या बढ सकती हैं।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्याः–ई0सी0–1/2018/8129

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेवसाईट पर अपलोड करादे।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादे।
4. सूचना पट।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।